न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 141 / 2020 अपील (GCMS 2020/00146)
पंजीयन दिनांक– 17.02.2020
निर्णय दिनांक– 19.07.2022

1. श्री भामा पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री धन्ना पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
3. श्री रूपा पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
4. श्री वना पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सलुम्बर, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री एन. एस. चुण्डावत – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या
22 / 2019 निर्णय दिनांक 17.01.2020

<u>निर्णय</u>

दिनांक 19.07.2022

- अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर,

उदयपुर के प्रकरण संख्या 22/2019 निर्णय दिनांक 17.01.2020 के विरूद्ध दिनांक 03.02.2020 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 13.08.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा एकलव्य नगर (सराड़ी), तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 3881, 3882 रकबा क्रमशः 0.0100 हेक्टेयर, 0.2200 हेक्टेयर बाबत् तहसीलदार, सलुम्बर ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 13.08.2019 को पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति होकर भूमिहीन व्यक्ति है एवं उनके परिवार का पालन पोषण कृषि पर आधारित हैं। अपीलाधीन भूमि साबिक आराजी संख्या 1980 एवं 1982 जिनके वर्तमान नम्बर 3881, 3882 बने है में से सवा दो बीघा भूमि पर अपीलान्ट्स एवं उनके स्व. पिता श्री पूंजा का कब्जा वर्ष 1967 से है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि पर अपीलान्ट्स एवं उनके पिता का पुराना कब्जा होने से उक्त भूमि को अपने नाम पर नियमन कराने के अपीलान्ट्स अधिकारी हैं। अपीलान्ट्स एवं उनके पिता द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है। सन् 1977 मे ग्राम पंचायत सराड़ी द्वारा श्री भीमा को उपरोक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया था, जिससे उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा सन् 1970 से पूर्व का साबित होता हैं। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स के पिता के विरूद्ध सन् 1991 मे प्रकरण संख्या 402/1991 चला, जिसके निर्णय दिनांक 12.12.1991 में तहसीलदार, सलुम्बर ने अपीलान्टस् के पिता का कब्जा सन् 1970 से पूर्व का मानते हुए उपरोक्त भूमि अपीलान्ट्स के पिता के नाम नियमन करने की सिफारिश करते हुए प्रकरण को

नियमन कमेटी के अध्यक्ष उप जिला कलक्टर, सलुम्बर को प्रेषित किया है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा की गई नियमन की सिफारिश मे ग्राम पंचायत की अनापत्ति का भी विवरण हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को अपीलान्ट्य के पक्ष मे नियमन करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। इसलिये उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पक्ष मे नियमन करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित करना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सलुम्बर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 को निरस्त किया जावे एवं भूमि अपीलान्ट के पक्ष मे नियमन करने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष रखने हेतु तहसीलदार सलुम्बर को निर्देशित करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 22/2019 निर्णय दिनांक 17.01.2020 से अपील अपीलांट्स अस्वीकार कर खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सलुम्बर के निर्णय दिनांक 13.08.2019 को यथावत रखे जाने अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम सराड़ी की आराजी संख्या 3881 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, 3882 रकबा 0.2200 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलान्ट्स को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा होना व पूर्व में तहसीलदार द्वारा*

नियमन हेतु प्रस्ताव भेजे जाने का उल्लेख किया है, किन्तु मामले में यह उल्लेखनीय है कि भूमि की किस्म चारागाह हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. **1132/2011@SLP(C)No.3109/2011** *जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार, सलुम्बर को निर्देश प्रदान किये जाते है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में यदि चारागाह भूमि पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।"*

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री एन. एस. चुण्डावत उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 04.07.2022 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध होना, अपीलान्ट के पिता का पुराना सन् 1970 से पूर्व का कब्जा होना, अपीलान्ट का भूमिहीन होना, प्रकरण पूर्व मे तहसीलदार द्वारा नियमन कमेटी के समक्ष भेजा जाना, नियमन कमेटी द्वारा पत्रावली पर कोई निर्णय न करना आदि आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर कब्जा नियमन करने हेतु अनुरोध किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय RRT 2016 (2) Page 882 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.01.2020 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सलुम्बर द्वारा ग्राम सराडा के खसरा नम्बर 3881, 3882 रकबा क्रमशः 0.0100 हैक्टेयर, 0.2200 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट्स के अतिक्रमण किये जाने के कारण अपने प्रकरण

संख्या 31/2019 निर्णय दिनांक 13.08.2019 से अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने एवं शास्ति का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां प्रथम अपील संख्या 22/2019 प्रस्तुत की जो अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.01.2020 से अपील खारिज कर तहसीलदार, सलुम्बर का निर्णय यथावत् रखा। प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 17.01.2020 से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.02.2020 को प्रस्तुत की है। अपील में अपीलाण्ट द्वारा आधार लिये गये हैं, वह यह है कि अपीलाण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य होकर भूमिहीन व्यक्ति है व अपीलांट एवं उनके पिता के परिवार का पालन–पोषण कृषि पर ही आधारित है तथा उसके पिता का सन् 1967 से कब्जा है। विवादित भूमि को अपीलांट्स एवं अपीलांट्स के पिता ने संयुक्त रूप से उपजाऊ बनाने, कुआं खुदवाने एवं करीब दो लाख रूपये खर्च किये हैं इसलिए अपीलांट्य उपरोक्त भूमि को नियमन कराने के अधिकारी है। पंचायत सराडी द्वारा अपीलांट्स के पिता भीमा को उपरोक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया था, जिससे भूमि पर सन् 1970 से पूर्व का कब्जा सबित होता है। तहसीलदार, सलुम्बर द्वारा नियमन करने हेतु सिफारिश करते हुए प्रकरण को कमेटी के अध्यक्ष उप जिला कलक्टर, सलुम्बर के यहां भेजा गया, जिसमें पंचायत की अनापत्ति का भी विवरण है।

- प्रकरण में हम यह पाते हैं कि प्रकरण में समायत बहस, अपीलाण्ट के उज्र, राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार के यहां प्रकरण दिनांक 05.08.2019 को प्रस्तुत होने के बाद अपीलाण्ट्स को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया गया तथा इस दौरान उसके द्वारा उक्त भूमि के चारागाह नहीं होने तथा बिलानाम होने या उसके नियमन की पात्रता रखे जाने बाबत् कोई साक्ष्य

तहसीलदार के यहां प्रस्तुत नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.08.2019 को आदेश पारित किया है।

- अपीलांट्स द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होते है।

- प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चारागाह भूमि का निजी प्रयोजनार्थ नियमन नहीं किये जाने के निर्देश है, जो इस देश में अब कानून बन चुका है। भूमि के चारागाह नहीं होने अथवा अपीलाण्ट को भूमि धारित किये जाने के लिए कोई अधिकारिता संबंधित दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं है, जिससे भूमि को चारागाह नहीं माना जावें अथवा अपीलाण्ट को उक्त चारागाह भूमि को धारण करने की अधिकारिता मानी जावें। समग्रतः हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट के चारागाह भूमि पर अतिक्रमी होने के आधार पर तहसीलदार एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रथम अपील में अपीलाण्ट की बेदखली एवं जुर्माने का जो आदेश पारित किया है, उसमें हम कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर